

कोर्ट के आदेश पर हटेगा परिवहन विभाग का बेरियर और धर्मकांटा



हरिभूमि न्यूज ►► जगदलपुर

सीमावर्ती राज्य में बस्तर जिले के धनपूँजी में विवादित जमीन पर परिवहन विभाग का बेरियर एवं धर्मकांटा बना है। जमीन के मालिक ने न्यायालय के शरण में गया तो

■ न्यायालय की शरण में पहुंचा था जमीन का मालिक

न्यायालय ने परिवहन विभाग को उस जमीन पर बने बेरियर एवं धर्मकांटा को हटाने का आदेश

दिया है। इससे पूर्व में भी जमीन मालिक द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद इसे शुरू नहीं किया गया था। इस आदेश से परिवहन विभाग असमंजस में है कि अब तक बेरियर एवं धर्मकांटा हटाकर कहाँ लगाएंगे। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व ही वाहनों का ओवरलोड जांच करने के लिए धर्मकांटा ►► शेष पेज 12 पर

हर महीने 25 लाख का मिल रहा था राजस्व

इसी बेरियर से हर महीने लगभग 25 लाख रूपए से अधिक राजस्व शासन को मिल रहा था पर इस बेरियर से हटने से शासन को राजस्व नहीं हो सकेगा। बेरियर के कर्मचारी रोजगार के लिए चिंतित होकर परेशान हैं।

दूसरी जमीन पर लगेगा बेरियर व धर्मकांटा

संयुक्त कलेक्टर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे ने बताया कि कोर्ट के आदेश से विवादित जमीन से हटाकर दूसरे जमीन में बेरियर एवं धर्मकांटा लगाया जाएगा। इससे शासन को हर महीने वाहन से राजस्व मिल सके। इसके लिए हाल ही में बेरियर का निरीक्षण किया था।